



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1156,1157 / 2009 / कोटा व 830, 831 / 2014.....

जिला :- कोटा

कास-आब्जेकशन संख्या .....1684 व 1685 / 2009.....जिला.....कोटा.....

उपनवान- मैसर्स कैलाशचन्द रामप्रताप, रामगंज मण्डी, कोटा बनाम सहायक आयुक्त, कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
27.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदनलाल - सदस्य</u> <u>आशा कुमारी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरना उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यावसायी फर्म द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावलियों पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी फर्म ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेने हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) चाहते हैं।</p> <p>विभाग द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को विद्वद्धा करने की अनुमति चाही गई, इस बाबत विभागीय पैराकार द्वारा भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा दायर अपील संख्या 830, 831 / 2014 व कास-आब्जेकशन संख्या 1685 व 1686 / 2009 कोटा तथा विभाग द्वारा दायर अपील संख्या 1156, 1157 / 2009 / कोटा की पत्रावलियों पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपीलें विद्वद्धा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वद्धा खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="435 1793 630 1926"> <p style="text-align: center;"> (आशा कुमारी) सदस्य</p> </div> <div data-bbox="1141 1769 1392 1926"> <p style="text-align: center;"> (मदनलाल) सदस्य</p> </div> </div>	